

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 28.02.2021

शांतिभंग की आशंका के महेनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के महेनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल—35 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा—151 / 107 / 116 सीआरपीसी में गिरफतार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—

01. थाना कर्नलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राजबक्ष पुत्र विजय बहादुर सिंह निवासी गौचढ़ी थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—87 / 21, 02. छबीले पुत्र कालीप्रसाद निं0 रायपुर मांझा थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—88 / 21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. अशरफी लाल पुत्र रामधीरज निवासी लहुरवा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—63 / 21, 02. मातादीन पुत्र रामसूरत निवासी पाण्डेय पुरवा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—64 / 21, 03. रामबहादुर पुत्र रामसूरत निवासीपाण्डेय पुरवा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—65 / 21, 04. विजयलाल सोनकर पुत्र मजनू निवासी लहुरवा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—66 / 21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. पारसनाथ सोनकर पुत्र वंशराज, 02. राम विनायक पुत्र वंशराज निवासीगण पिरकिहा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 08 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—35 / 21, धारा 60 / 60(2) आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना खोड़ारे द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. लालमन पुत्र मंगल निवासी केशवनगर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—33 / 21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. नानबाबू पुत्र श्रीराम थाना अहिरनपुरवा थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—64 / 21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. धर्मन्द्र कुमार उर्फ मिन्सल पुत्र भारत सिंह निवासी भोपतपुर डीहा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—68 / 21, 02. रमेश सिंह पुत्र श्रीपाल सिंह निवासी भोपतपुर डीहा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 18 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—69 / 21, 03. मगनू पुत्र रामलखन निवासी जैतपुर माझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 40 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—70 / 21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

07. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. निर्मला पत्नी स्व0 मंशाराम निवासी भरवटिया थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—62 / 21, 02. विनय कुमार पुत्र चनिका सिंह निवासी चौकनिया थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—63 / 21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

08. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. लोधे पुत्र शम्भू नि0 गोबरहा लोनावा दरगाह थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—58 / 21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

जालसाजी करने की आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के थाना को0 देहात पुलिस ने जालसाजी करने के आरोपी अभियुक्त—चित्रवीर सिंह पुत्र हरि सिंह नि0 रंजीत गढ़ी खेड़िया बुर्जुग थाना खैर जनपद अलीगढ़ को थाना को0 देहात में पंजीकृत मु0अ0सं0—366 / 20, धारा 419.420.467.468.471 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने फर्जी/कूटरचित दस्तावेज लगाकर सहायक अध्यापक के पद पर ताजपुर प्राथमिक विद्यालय में नौकरी कर रहा था। जिसके सम्बन्ध में रामराज सिंह खण्ड शिक्षा अधिकारी झंझरी द्वारा थाना को0 देहात में उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें को0 देहात पुलिस ने विवेचना के आधार पर दोषी पाये गये उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर झंझरी ब्लाक से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

छेड़छाड़ व मारपीट करने के आरोप में 03 अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. सुशील कुमार वर्मा पुत्र रामकुमार वर्मा निवासी मछली बाजार थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोण्डा
02. शिव प्रसाद पुत्र विजय प्रताप दुबे निवासी मछली बाजार थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोण्डा।
03. कृष्ण कुमार उर्फ मोनू पुत्र लालबच्चा निवासी मछली बाजार थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—58 / 2021, धारा 323,504,506,354 भादवि व 7४८ पास्को एकट व 3(1)(द)(ध)(ब) एससी एसटी एकट थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण—

जनपद गोण्डा में अपराध एवं अपराधियों व वांछित अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना मनकापुर पुलिस ने मुकदमा उपरोक्त से संबंधित मारपीट व नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी अभियुक्तों को उनके घर से गिरफ्तार कर मा० न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तारकर्ता टीम:-

01. उ०नि० डिग्री प्रसाद गौतम।
02. उ०नि० संजीव कुमार वर्मा।
03. है०का० राजबहादुर यादव।
04. है०का० विनय सिंह।
05. का० अखिलेश कुमार।